# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 15/2016–17

संतोष मुर्मू ........................................................................................आवेदक

बनाम

मनबोध राणा ........................................................................................ विपक्षी

## ।। आदेश ।।

**04/04/2017** यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 15/16–17 संतोष मुर्मू बनाम् मनबोध राणा, सा0 पहरूडीह अंचल मसलिया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद सं0 29/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा पहरूडीह के जमाबन्दी सं0 39 के अन्तर्गत दाग सं0 1247 कुल रकवा 01–00–11 धूर जमींन गत सर्वे सेटेलमेंट पर्चा में करिया मुर्म के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबन्दी रैयत करिया मुर्मू के परपोता है। प्रश्नगत जमींन अहस्तान्तरणीय है। उसपर उनका ार बना हुआ था। विपक्षी द्वारा उक्त जमींन को अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त जमींन में डेमडा राणा के नाम से पी.पी. पट्टा निर्गत है। विपक्षी पी.पी. पट्टा प्राप्तकर्त्ता डेमडा राणा का वैधिक उत्तराधिकारी नहीं है। वह बिल्कूल अन्य व्यक्ति है। इस जमींन पर विपक्षी का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक द्वारा विपक्षी को प्रश्नगत जमींन से उच्छेदित करने हेतु निम्न न्यायालय में आर0ई0 वाद सं0 29/2012–13 दायर किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि प्रश्नगत जमींन में रकवा 03 कठ्ठा जमींन पर डेमडा राणा को अंचल अधिकारी मसलिया के वाद सं0 75/75–76 में वासगीत पर्चा प्राप्त है। विपक्षी वासगीत पट्टा प्राप्तकर्त्ता डेमडा राणा का लघोर लड़की के पुत्र हैं। उन्होंने आगे कहा है कि झारखंड में पी.पी. पट्टा का मान्यता नहीं है।

उनके द्वारा इस संबंध में सबूत के तौर पर माननीय आयुक्त संताल परगना दुमका के आदेश की प्रति जो उनके मेमो नं0 390/विधि दिनांक 01.08.1990 द्वारा सभी उपायुक्त संताल परगना को भेजा गया है, को दाखिल किया गया है। उसमें उल्लेख है कि "As far as santhal Praganas is concerned in non-transferable land no Person can acquire the status of a 'Privileged Person' to enable him to become a 'Privileged Tenant'."

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि काफी पूर्व में प्रश्नगत जमींन विपक्षी के दादा डेमडा राणा को प्राप्त हुआ है। उनका

पोता होने के नाते इस जमींन पर उनका दावा बनता है। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार वर्ष 1975–76 में पर्चा मिला है। इतने सालों से कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन आवेदक के जमाबन्दी जमींन है। उक्त दाग में तीन कठ्ठा जमींन डेमडा राणा को वासगीत पर्चा अंचल अधिकारी के वाद सं0 75/1975–76 द्वारा प्राप्त है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार वासगीत पर्चा प्राप्तकर्त्ता विपक्षी डेमडा राणा के लघोर बेटी (डेमडा राणा के पत्नी का पूर्व पति से उत्पन्न पुत्री के पुत्र) के पुत्र हैं।

चुँकि विपक्षी के लघोर के नाना का प्रश्नगत जमींन पर वर्ष 1975–76 से मकान बना हुआ है तथा विपक्षी भी उसी मकान पर निवास कर रहें है। उनका दखल सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू होने के 12 वर्ष पूर्व से न होने के कारण उनका दावा Adverse Possession के आधार पर भी नहीं बनता है किन्तु उक्त जमींन पर उनका मकान बने रहने के कारण उन्हें उच्छेदित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी/अवर निबंधक से स्थानीय दर प्राप्त कर उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाय तथा निर्धारित राशि को विपक्षी से आवेदक को भुगतान कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।